संख्या-55/2025/1137/001-12-5099-62-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 23 सितंबर, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित याजनायें, 0111-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढो०यो०/632/पुनर्विनियोग/NMNF/2025-26, दिनांक 29 अगस्त, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-81(TSP Category) के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित याजनायें, 0111-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 51.06 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू० 24.03 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 75.09 लाख (रूपये पचहत्तर लाख नौ हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-60, दिनांक 15.09.2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.05.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद / कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1/2025/बी-1-156/दस-2024-25 दिनांक 21 जनवरी, 2025 एवं शासनादेश संख्या-2/2025/बी-1-201/दस-2025, दिनांक 30 जनवरी, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/ प्राविधानों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 51,06,000 (रुपये इक्यावन लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 2402007960111 नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 24,03,000 (रुपये चौबीस लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 2402007960111 नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2025/1137/001-12-5099-62-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक(बाढ़ो०यो०), कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
A012-20252026-12-5099-62-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2401007960104 (प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रिजड्यू CRM (के.60/रा 40-के.+रा.))	27 (मल्टिकी)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	4,53,33,000 रुपये चार करोड़ तिरेपन लाख तैतीस हजार मात्र	-75,09,980 रुपये पचहत्तर लाख नौ हजार नौ सौ अस्सी मात्र	7509000	424-91000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2402007960111 (नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	42 (अन्य व्यय)	0 शून्य	24,03,290 रुपये चौबीस लाख तीन हजार दो सौ नब्बे मात्र	2403000	-2403000	2025-2026
081	2402007960111 (नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	27 (मल्टिकी)	0 शून्य	51,06,690 रुपये इक्यावन लाख छह हजार छह सौ नब्बे मात्र	5106000	5106000	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से हो रही है :-

अ- CRM योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु कार्ययोजना के सापेक्ष अनुदान संख्या-81 में प्राविधान अधिक होने के कारण।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में NMNF योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में प्राविधान न होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर ई- बजट-1-60, 15 -2025-26, दिनांक सितंबर, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Digitally signed by
DR. RAMESH CHANDRA TIWARI
Date: 10-09-2025 17:35:02
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20252026-12-5099-62-2025, दिनांक 15 सितंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।